आवेदन सं०: 201900998005052

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 40 के पृष्ठ 189 से 232 तक क्रमांक 47 पर दिनाँक 23/11/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शरदेन्दु मिश्र
उप निबंधक : ज्ञानपुर
भदोही
23/11/2019

कार्यालय उप निबंधक ज्ञानपुर
सत्यमेव जयते
भदोही

Scanned with CamScanner

22

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 | भारत | सत्यमेव जयते | INDIA | TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 74AD 574621

20. <u>लेखा–जोखा (आडिट)</u> :— : आर्थिक वर्ष के उपरान्त ट्रस्ट/न्यास अपना लेखा जोखा को चुस्त–दुरुस्त और उसकी आडिट भी करायेगा। आवश्यकता पड़ने पर अपने खर्च से ट्रस्ट/न्यास के पदाधिकारियों/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से आडिट करायेगा तथा उसका लेखा जोखा भी रखेगा करेगा। चार्टर एकाउन्टेन्ट (सी0ए0) की मदद भी ले सकता है।

मसविदाकर्ता– श्री विजय कुमार शुक्ला
ग्राम–दवनपुर, पो. जंगीगंज
तहसील–ज्ञानपुर, जिला–भदोही (उ0प्र0)

विजय शुक्ला

गवाह –

विजय शुक्ला

1. अम्बिकराम शुक्ल पु० दुखलाल शुक्ल निवासी कोड़रिया
2. रविप्रकाश श्रीवास्तव S/o 9415976656 ... असनैवाबिर - भदोही

Scanned with CamScanner

14

4467 to 4469

मालिकराम शुक्ला
स्टाम्प विक्रेता 22-11-19
उ०नि०कार्यालय ज्ञानपुर

कार्यालय उप निबन्धक ... उ.प्र.
सत्यमेव जयते
भदोही

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 574620

18. **पदों का सृजन :—** : ट्रस्ट/न्यास आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन कर सकता है और इन पर सुयोग्य व्यक्ति को पद स्थापित कर सकता है तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रबन्ध समितियों का गठन करके उनके उत्तरदायी पदाधिकारियों को मनोनीत करके उन्हें कार्य सौंप सकता।

19. **ट्रस्ट/न्यास का विस्तार :—** : प्रभावती देवी चैरीटेबल ट्रस्ट अपने कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त या जिले में अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

विजय शुक्ला

प्रभावती ... ट्रस्ट

क्रमशः पेज..21...

विजय शुक्ला

Scanned with CamScanner

४४६६ से ४४४७

[illegible] शुक्ल
स्टाम्प विक्रेता
उ०नि० कार्यालय ज्ञानपुर
22-11-17

कार्यालय उप निबन्धक ज्ञानपुर
सत्यमेव जयते
भदोही

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 574619

16. **वाद–विवाद (प्रतिवाद) :—** : समस्त प्रकार के वाद तथा प्रतिवादों का कार्यक्षेत्र उ0प्र0 रहेगा तथा ट्रस्ट/न्यास दूसरों द्वारा ट्रस्ट पर दायर वाद–प्रतिवाद ट्रस्ट के पद नाम से होगें व्यक्तिगत नाम से नहीं और ट्रस्ट इस प्रकार के वाद–प्रतिवाद की पैरवी के लिए किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को मनोनीत कर सकता है तथा अपना कानूनी सलाहकार निश्चित कर सकता है।

17. **परियोजनाओं के संचालन में :—** : ट्रस्ट/न्यास सामाजिक लाभ के लिए संस्थाओं परियोजनाओं का संचालन ग्राम स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर कर सकता है जो कि भारत वर्ष के किसी प्रान्त, जिला, तहसील व ग्राम में चलायी जायेगी।

क्रमशः पेज.20...

4465 से 4441

शालिकराम शुक्ल
सहायक निबंधक
उपनिबन्धक कार्यालय ज्ञानपुर
22-1-19

कार्यालय उप निबन्धक ज्ञानपुर
सत्यमेव जयते
भदोही

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 574618

19

14. ट्रस्ट/न्यास के रिकार्ड व अभिलेख :– सदस्यता रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर कैशबुक, लेजर बाऊचर फाइल सदस्यता फाईल, रसीद, वही, पास बुक, चेक–बुक, निरीक्षण रजिस्टर, उपस्थित रजिस्टर आदि ट्रस्ट के रिकार्ड होगें। जो अध्यक्ष के पास रहेगा।

15. अनुशासनात्मक कार्यवाही :– : ट्रस्ट/न्यास के तथा ट्रस्ट के अधीनस्थ किसी संस्था समिति के किसी भी प्रकार के पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय ट्रस्ट प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति करेंगी।

क्रमशः पेज.19...

विजय गुप्ता

विजय गुप्ता

4464 से 4451

माणिकराम शुक्ल
स्टाम्प विक्रेता
उ०नि०कार्यालय ज्ञानपुर
22-11-18

कार्यालय उप निबन्धक ज्ञानपुर
सत्यमेव जयते
भदोही

Scanned with CamScanner

14

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 74AD 574617

आवश्यकतानुसार उन खातों में परिवर्तन कर सकता है एवं चयनित पदाधिकारी का नाम परिवर्तित कर सकता है। ट्रस्ट/न्यास का अपना निजी खाता होगा एवं विदेशी सहायता के लिए एक अलग से खाता परिचालित करना होगा।

13. **विवादित स्थिति निर्णय :—** : ट्रस्ट/न्यास में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति आने पर या किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित होने पर ट्रस्ट/न्यास के संस्थापक ट्रस्टियों को ट्रस्ट के दस्तावेज के मुताबिक समस्त अधिकार प्राप्त होगें और ये ट्रस्ट के संचालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होगें तथा अध्यक्ष ट्रस्ट की प्रबन्धक कार्यकारिणी समित के लिए अलग से ट्रस्टीयों को मनोनीत कर सकेगें और ट्रस्ट/न्यास की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के नियन्त्रण व सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होगें। ऐसी परिस्थिति में अंतिम प्रबन्धकारिणी समिति एवं अध्यक्ष का निर्णय मान्य होगा। किसी भी परिस्थिति में कोई भी ट्रस्टी सदस्य किसी भी न्यायालय में मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता है। यह ट्रस्ट/न्यास तथा उससे संचालित सभी संस्थाओं पर लागू होगा।

विजय शुक्ला

विजय शुक्ला

५५६४-००० ५५५५)

मालिकराम भूषण
स्टाम्प विक्रेता
उ०नि०कार्यालय ज्ञानपुर
२२-११-१५

कार्यालय उप निबन्धक ज्ञानपुर
सत्यमेव जयते
भदोही

Scanned with CamScanner

17

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 574616

8\. ट्रस्ट/न्यास के दस्तावेजों में संशोधन : ट्रस्ट/न्यास यदि, यह महसूस करता है कि इसके दस्तावेज में किसी धारा में संशोधन परिवर्तन या परिवर्धन आवश्यक है तो वह संस्थापक सदस्यों की अनुमति से कर सकता है।

12\. <u>ट्रस्ट/न्यास का कोर्स :—</u> : ट्रस्ट/न्यास अपने निजी या अपने अधीन या किसी संस्था या परियोजना का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में प्रबन्धकारिणी समिति के प्रस्ताव द्वारा पारित करके अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों खाता खुल सकता है तथा कोई भी धन अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष में से किसी एक के हस्ताक्षर से निकाला जायेगा।

क्रमशः पेज.17...

विजय शुक्ला विजय शुक्ला

Scanned with CamScanner

५५६२ — लगा ५५६७

मानिकराम शुक्ल
स्टाम्प विक्रेता
उ०नि०कार्यालय ज्ञानपुर
22.11.19

कार्यालय उप निबन्धक ज्ञानपुर
सत्यमेव जयते
भदोही

16

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 574615

2. ट्रस्ट/न्यास की कार्यवाही के प्रारम्भ में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होगे व अन्त में ट्रस्ट/न्यास अध्यक्ष एवं ट्रस्ट प्रबन्धक/सचिव के हस्ताक्षर होगे।

3. प्रवन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना सामान्य रूप से एक सप्ताह पूर्व एजेण्डा द्वारा प्रमाणित साधन द्वारा दी जायेगी। विशेष परिस्थतियों में आकस्मिक बैठक 24 घण्टे में बुलायी जा सकती है।

4. ट्रस्ट/न्यास मे ट्रस्टी सदस्यों की संख्या कम से कम 02 और ज्यादा से ज्यादा 21 होगी।

5. प्रबन्धकारिणी समिति के प्रस्तावित एजेण्डा में यदि कोई प्रस्ताव नहीं है और उसको समिति में रखना है तो अध्यक्ष की अनुमति मे रखा जा सकता है।

6. निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। समान मत पड़ने की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

7. ट्रस्ट/न्यास का वार्षिक अधिवेशन एवं समय पर आडिट करना, प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के निर्देशों पर होगा।

विजय शुक्ला

विजय शुक्ला

4461 से 4447

माणिक राम शुक्ला
स्टाम्प विक्रेता
उ०नि०कार्यालय ज्ञानपुर
22.11.17

कार्यालय उप निबन्धक ज्ञानपुर
सत्यमेव जयते
भदोही

15

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 574614

09. **मुख्य ट्रस्टीयों के अधिकार एवं कर्तव्य** :— मुख्य ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी समिति में एजेण्डा के अनुसार अपने विचार रखेंगे और निर्णय लेने में प्रबन्धकारिणी समिति की मदद करेंगे प्रबन्धकारिणी समिति आम सहमति से मुख्य ट्रस्टीयों की संख्या घटा व बढ़ा सकती है।

10. **सहयोगी ट्रस्टी** :— : ट्रस्ट/न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं की सहमति उपसमितियों एवं पदाधिकारियों के रूप में मनोनीत किये जायेगे और वे सौंपे गये कार्यवाही को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होगें।

11. **ट्रस्ट/न्यास के समान्य नियम** :—

1. ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति में तीन सदस्य होगे, जिनमें ट्रस्ट अध्यक्ष, ट्रस्ट कोषाध्यक्ष ट्रस्ट/प्रबन्धक/सचिव तीन पदाधिकारी होगे, जो ट्रस्ट/न्यास के संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे। ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष ही होगे।

विजय शुक्ला

विजय शुक्ला

Scanned with CamScanner

४४६० से ४४७३

मालिकराम शुक्ल
स्टाम्प विक्रेता
उ०नि०कार्यालय ज्ञानपुर
२२-११-१९

कार्यालय उप निबन्धक ज्ञानपुर
सत्यमेव जयते
भदोही

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 भारत सत्यमेव जयते INDIA TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 74AD 574613

7. ट्रस्ट/न्यास के किसी पदाधिकारी द्वारा लिखे गय प्रशासनिक निर्णय के विरूद्ध प्रत्यावेदन पर सुनवाई करना व उस पर निर्णय देना।

8. आवश्यकतानुसार ट्रस्ट/न्यास के नियम और उपनियम बनाना तथा उनको क्रियान्वित करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट बोर्ड पर सर्वाधिकार सम्पन्न और वह समस्त निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी। जो आवश्यकतानुसार महसूस किये जायेगें।

09. <u>ट्रस्ट/न्यास अध्यक्ष के कर्तव्य एवं अधिकार</u>:– ट्रस्ट/न्यास अध्यक्ष ही ट्रस्ट/न्यास के मुख्य अधिकारी होगें। जो ट्रस्ट/न्यास के उद्देश्यों के प्रति समर्पित होगें। न्यासकर्ता ही ट्रस्ट/न्यास की प्रथम आजीवन ट्रस्ट/न्यास होगे। ट्रस्ट/न्यास

अध्यक्ष अपने उत्तराधिकारी को अपने आजीवनकाल में उत्तराधिकारी अध्यक्ष मनोनीत कर सकते है। ट्रस्ट/न्यास के किसी भी ट्रस्ट/न्यास सदस्यों द्वारा ट्रस्ट/न्यास के प्रति असहयोग या पागल होने पर दिवालिया होने, मृत्यु होने पर न्यायालय द्वारा सजा पाने पर ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता से मुक्त कर सकता है। ट्रस्ट/न्यास का प्रशासनिक कार्य अध्यक्ष द्वारा सम्पादित, होगा एवं ट्रस्ट/न्यास के संचालन एवं नियंत्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। किसी ट्रस्ट/न्यास की पूर्ति के लिए मनोनयन करना, कर्मचारी की नियुक्ति करना, वेतन वृद्धि करना एवं बहाली करना, ट्रस्ट/न्यास के समस्त वैधानिक कागजातों एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना, एवं ट्रस्ट/न्यास के चल–अचल सम्पत्ति का स्थानान्तरण करना, खरीदना, या बेचना बैंक खातों का संचालन करना एव ट्रस्ट/न्यास के प्रबन्धकारिणी के समस्त प्रस्तावों को कार्य रूप में प्रस्तावित करना।

विजय शुक्ला विजय शुक्ला

क्रमशः पेज..14...

Scanned with CamScanner

4458 [illegible] 4449

मालिकराम शुक्ल
स्टाम्प विक्रेता
उ०नि०कार्यालय ज्ञानपुर
22.11.11

उप निबन्धक
सत्यमेव जयते
भदोही

Scanned with CamScanner

13

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 74AD 574612

07. **प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :–**

1. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी।

2. किसी सदस्य का समिति के चल–अचल सम्पत्ति को खरीदने–बेचना, रेहन रखने, ऋण लेने का अधिकार प्रदान करना व उनको मनोनीत करना, नियुक्त करना, निष्कासन करना व किसी अधिकारी द्वारा किये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन करना या उसे निरस्त करना।

3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित संस्था में परियोजनाओं के संचालन में समितियों व मुख्य समितियों का गठन करना, उनके पदाधिकारियों को मनोनीत करना व उन्हें अधिकार प्राप्त तथा भंग करना व प्रदत्त अधिकारों को वापस लेना।

4. ट्रस्ट/न्यास द्वारा गठित समितियों व उपसमितियों संस्थाओं व परियोजनाओं को अलग–अलग बैंक खातों को समयानुसार चालू करने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत करना व बैंक खाते खुलवाना और उन्हें बन्द कराना या परिवर्तन कराना।

5. ट्रस्ट/न्यास की ओर से किसी भी प्रकार की अनुबन्ध या दस्तावेज लिखने के लिए या याद विवाद के पैरवी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करना तथा किसी जाँच पड़ताल के लिए ट्रिबुनल गठन करना और वैधानिक कार्यवाही करना।

6. वार्षिक आय–व्यय का लेखा–जोखा स्वीकृत करना तथा आगामी बजट तैयार करना।

विजय शुक्ला

क्रमशः पेज..13...

Scanned with CamScanner

१५

५५६४ से ५५५५

मानिक राम शुक्ल
स्टाम्प विक्रेता
क०नि० कार्यालय ज्ञानपुर
22-11-10

कार्यालय उप निबन्धक ज्ञानपुर
सत्यमेव जयते
भदोही

12

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 | TEN RUPEES Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — 74AD 574611

			मुख्यट्रस्टी होगें, ये संस्थापक ट्रस्टी के कार्यो में सहयोग तथा अपनी राय व्यक्त करेगें। इनमें से किसी का स्थान रिक्त होने पर उनके उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेगें।
3.	सहयोगी ट्रस्टी/न्यासी	:	जो व्यक्ति ट्रस्ट/न्यास को 25000/– (पच्चीस हजार रूपये) वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा। वह एक वर्ष के लिए सहयोगी ट्रस्टी/न्यासी होगा। इसके लिए संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति लेना आवश्यक होगा।
4.	ट्रस्टी/न्यासी की सदस्यता समाप्ति	:	पागल होने, दियालिया होने. मृत्यु होने पर या किसी न्यायालय द्वारा सजा पाने या त्याग पत्र देने पर, सदस्यता समाप्त समझी जायेगी या ट्रस्टी/न्यासी सदस्य सदस्य ट्रस्ट के खिलाफ काम करने पर उन्हें प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निलम्बित किया जा सकता है और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी।

विजय शुक्ला

विजय शुक्ला

कमशः पेज..12..

Scanned with CamScanner

माणिकराम शुक्ल
स्टाम्प विक्रेता
...नि०कार्यालय ज्ञानपुर
22.11.18

कार्यालय उप निबन्धक ज्ञानपुर
सत्यमेव जयते
भदोही

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AF 100236

प्रबन्धकारिणी समिति के उत्तरदायी पद– ट्रस्ट/न्यास के प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव ट्रस्टी कोषाध्यक्ष होगे। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष ही मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी होगे। ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार से होगी। ट्रस्ट का मुख्यालय ट्रस्ट का भाग नही है।

संस्थापक ट्रस्टी 1–श्री विजय कुमार शुक्ल
2–श्री अजय कुमार शुक्ल
3–श्रीमती पूजा शुक्ला

इस ट्रस्ट/न्यास के संस्थापक ट्रस्टी होगे जिन्हे अपने जीवनकाल में उत्तराधिकारी के अलावा किसी भी प्रकार के ट्रस्टी को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है एवं ट्रस्ट न्यास के संचालन एवं नियन्त्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। इन तीनों ट्रस्टियों मे से यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके उत्तराधिकारी या उनकी सहमति से कोई एक उत्तराधिकारी उनका उत्तराधिकार ग्रहण करते रहेगे। ये तीनों आजीवन ट्रस्टी होगें।

2– मुख्यट्रस्टी /न्यासी– 1–श्री राम आसरे शुक्ल
2–जड़ावती देवी
3–श्रीमती पूनम
4–श्रीमती प्रमिला शुक्ला

विजय शुक्ला विजय शुक्ला

५५५७ से ५५५७

22/11/19

कार्यालय उप निबन्धक ...
सत्यमेव जयते
भदोही

(10)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 574609

22. गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं प्रचार–प्रसार करेगा।

23. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक दृष्टि से सर्वेक्षण करेगा तथा न्यूज पेपर (समाचार पत्र) सम्पादित करेगा।

24. खेल–कूद पर्यटन योग या लोकगीत, लोक संस्कृति एवं परम्पराओं का प्रचार–प्रसार एवं विकास करेगा।

25. विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ जैसे– सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि एकत्र करेगा तथा कार्यशीलाओं का आयोजन कर इन सूचनाओं को जन सामान्य तक पहुँचायेगा।

26. शासन स्तर पर हो रहे ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण के प्रयासों का प्रचार–प्रसार एवं उस दिशा में आने वाली समस्याओं का निराकरण करने में सहयोग करेगा।

27. अन्य सभी कार्य करेगां जिससे जन सामान्य की भलाई एवं कल्याण हो।

28. विभिन्न कार्यो के निष्पादन के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करेगा, जो इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करेगी।

04. <u>ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति</u> :– ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति में दस्तावेज में उल्लिखित/पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी आजीवन सदस्य रहेगें। इसमें से किसी का स्थान रिक्त होने पर पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी के उत्तराधिकारी या उनकी सहमति से कोई, एक उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेगें।

विजय शुक्ला

विजय शुक्ला

क्रमशःपेज..10...

Scanned with CamScanner

(10)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 74AD 574609

22. गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं प्रचार–प्रसार करेगा।

23. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक दृष्टि से सर्वेक्षण करेगा तथा न्यूज पेपर (समाचार पत्र) सम्पादित करेगा।

24. खेल–कूद पर्यटन योग या लोकगीत, लोक संस्कृति एवं परम्पराओं का प्रचार–प्रसार एवं विकास करेगा।

25. विभिन्न प्रकार की सूचनाऐं जैसे– सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि एकत्र करेगा तथा कार्यशीलाओं का आयोजन कर इन सूचनाओं को जन सामान्य तक पहुँचायेगा।

26. शासन स्तर पर हो रहे ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण के प्रयासों का प्रचार–प्रसार एवं उस दिशा में आने वाली समस्याओं का निराकरण करने में सहयोग करेगा।

27. अन्य सभी कार्य करेगा जिससे जन सामान्य की भलाई एवं कल्याण हो।

28. विभिन्न कार्यो के निष्पादन के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करेगा, जो इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करेगी।

04. <u>ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति</u> :– ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति में दस्तावेज में उल्लिखित/पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी आजीवन सदस्य रहेगें। इसमें से किसी का स्थान रिक्त होने पर पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी के उत्तराधिकारी या उनकी सहमति से कोई, एक उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेगें।

विजय शुक्ला

विजय शुक्ला

क्रमशः पेज..10...

Scanned with CamScanner

14

4456 से 4447

मानिकराम शुक्ल
स्टाम्प विक्रेता
उ०नि०कार्यालय ज्ञानपुर
22-11-12

कार्यालय उप निबन्धक
सत्यमेव जयते
भदोही

(9)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 574608

15. प्राकृतिक आपदाओं जैसे– बाढ़, सूखा, आगजनी, महामारी, विपत्तियों के समय भी पीड़ितों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायेगा। समय–समय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि संस्थाओं से सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा।

16. मातृ शिशु कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण एवं टीकाकरण कार्य के लिए कार्य करेगा तथा प्रचार–प्रसार करेगा।

17. ग्राम स्तर पर उत्पादित वस्तुओं, हस्तकला सामग्रियों, कताई–बुनाई, सिलाई–कढ़ाई इत्यादि के निर्माण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगा।

18. जैविक खेती द्वारा सब्जी, फल एवं अनाज का उत्पादन कराकर फसलों में रोग नियंत्रण हेतु विभिन्न कीटों, (फसल मित्र) का प्रयोग करेगा और रासायनिक विषक्तता की मुक्ति के लिए प्रयत्न करेगा।

19. गो–वंश संरक्षण एवं विकास की दिशा में कृषकों एवं जनमानस की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कार्य करेगा।

20. सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण तथा भारतीय जीव जन्तु कल्याण एवं अन्य जीव संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करेगा तथा संरक्षण एवं सघन वृक्षारोपण को बढ़ावा देगा।

21. जगह–जगह पर वनौषधिक उद्यानों की स्थापना कराकर औषधियों (विशेषतः लुप्त प्रायः का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जागरूकता पैदा करायेगा।

क्रमशःपेज..9....

विजय शुक्ला विजय शुक्ला

Scanned with CamScanner

44455 688 4447

मानिकराम शुक्ल
प्राप्त विक्रेता 25-11-14
उ0नि0कार्यालय ज्ञानपुर

कार्यालय उप निबन्धक ज्ञानपुर
सत्यमेव जयते
भदोही

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 574607

7 निराश्रित एवं जरूरतमंदों की मदद करेगा, न्यास/ट्रस्ट द्वारा जरूरत मन्दों को स्वरोजगार हेतु न्यूनतम दर पर ऋण प्रदान किया जायेगा।

8. दलित एवं अति पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनु0 जन जाति एस.सी./एस.टी. फण्ड ओ.बी.सी. के उत्थान के लिए कार्य करेगा।

9. समाज के कमजोर वर्ग, महिलाओं विकलांगों एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेगा, तथा समाज के आदर्श संस्कृति, समानता, भाईचारा एवं सह अस्तित्व स्थापित करने के लिए कार्य करेगा।

10. समाज में व्याप्त बुराईयों एवं कुरीतियों का प्रबल विरोध करेगा एवं व्यक्तियों के सांस्कृतिक तथा चारित्रिक निर्माण के लिए प्रयास करेगा।

11. युवकों को मद्यपान एवं नशाखोरी के प्रभाव से निकाल कर पुनर्वास की व्यवस्था करेगा तथा उन्हें स्वरोजगा द्वारा स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करेगा।

12. सभी को शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्राथमिक विद्यालय जू0हा0 स्कूल उ0मा0 विद्यालय तथा महाविद्यालय की स्थापना करेगा एवं संचालित करेगा।

13. सभी को स्वास्थ्य समृद्धि एवं स्वावलम्बन की व्यवस्था के लिए कार्य करना तथा स्वदेशी की अवधारणा पर खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास करेगा एवं इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।

14. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं कृषकों के उत्थान के लिए टिकाऊ कृषि प्रायोगिकी का विकास करने के लिए तथा कृषकों को सब्जी एवं फल प्रसंस्करण के लिए प्रेरित करेगा एवं प्रशिक्षित करेगा। कृषि आधारित उद्योग के प्रचार-प्रसार एवं स्थापना हेतु उपयुक्त पात्रों को परामर्श एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा।

क्रमशःपेज.8....

विजय शुक्ला विजय शुक्ला

५५८५(००० ५५५)

शालिकराम शुक्ला
स्टाम्प विक्रेता
उप० कार्यालय ज्ञानपुर
22-11-18

कार्यालय उप निबन्धक ज्ञानपुर
सत्यमेव जयते
भदोही

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 574606

केन्द्र, आवासीय विद्यालय निराश्रित सेवा केन्द्र (अनाथालय) मूक बधिर, विकलांग केन्द्र, छात्रावास, पशु अस्पताल, गो सेवा सदन मुर्गी पालन, सांस्कृतिक केन्द्र, कुटीर उद्योग प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, कृषि विज्ञान, शिक्षा केन्द्र आदि की स्थापना करना एवं इनका संचालन करना।

3. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मजदूर, महिलाओं, पुरुषों के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक व स्वास्थ्य विकास के लिए खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम, कृषि विकास, पशुपालन, पर्यावरण, भूमि सुधार,, सिंचाई, पेयजल, नशा बन्दी निवारण, सामाजिक कुरीतियों, सम्प्रदायिकता निवारण, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता का विकास, आकस्मिक दुर्घटना में सहायकता, महिला उत्पीड़न का विरोध व प्रताड़ित महिलाओं का संरक्षण अनाथ–बच्चों की शिक्षा का संरक्षण व पोषण, परम्परागत चिकित्सा प्रणाली का विस्तार आदि कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

4. समय–समय पर मिनिट, गोष्टी सेमीनार, अधिवेशन, प्रर्दशनी और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा

5. देश की होनहार प्रतिभाओ, सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति में एवं उत्कृष्ट सेवाओं नें ईमानदार अधिकारियों कर्मचारियों को उत्साह वर्धन के लिए नागरिक सम्मान व प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार प्रदान करेगा।

6. ट्रस्ट अपने स्वावलम्बन कार्यक्रम के संचालन के लिए जनता, व्यापारिक प्रतिष्ठानों जिला, प्रशासन राज्य सरकार केन्द्र सरकार एवं सरकारों के अधीन् विभिन्न मंत्रालयों व अन्तराष्ट्रीय एजेन्सियों से चन्दा दान अनुदान प्राप्त करेगा।

क्रमशः पेज.7...

विजय शुक्ला

विजय शुक्ला

Scanned with CamScanner

४४५२३ से ४४५४७

माणिकराम शुक्ल
स्टाम्प विक्रेता
कार्यालय ज्ञानपुर
22-11-19

कार्यालय उप निबन्धक ज्ञानपुर
सत्यमेव जयते
भदोही

6

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 74AD 574605

11. लाभग्राही : हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौध्द आदि समस्त जाति धर्म के समस्त लोगों को बिना किसी भेद-भाव व सामान्य विकास एवं मात्र के सर्वागीण विकास के लिये यह ट्रस्ट काम करेगा। और सभी को समान लाभ पहुँचाने का प्रयास करेगा। प्राणियों एवं वनस्पतियों के विकास व कल्याण के लिए किया जायेगा।

03. ट्रस्ट के उद्देश्य :-

1. समाजिक विकास के लिए विशेषकर इन क्षेत्रों में जैसे भारतवर्ष के निरीह और जरूरत मन्द बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, के लिए भारत के विभिन्न प्रान्तों में अपना उद्देश्यों के निहित भिन्न-भिन्न बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को संचालन करना एवं उसी प्रबन्ध समितियों का गठन करना तथा प्रबन्ध समितियों संस्थाओं का संचालन करना।
2. सामाजिक विकास के लिए पुस्तकालय, अस्पताल तथा प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल उच्च माध्यमिक, इण्टर एवं सी.बी.एस.सी. बोर्ड, आई.सी.एस.ई. बोर्ड, यू.पी. बोर्ड, महाविघालय (कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि विधि) अभियान्त्रिक कालेज, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हास्पिटल सामाजिक शिक्षा, बी.एड, एम.एड., बी.पी.एड., डी.एड., मैनेजमेंट्स कोर्सेस, एम.बी.ए., पी.जी., डी.बी.एम., एम.पी.एम., बी.बी.ए. होटल मैनेजमेन्ट डिप्लोमा एवं डिग्री इन इन्जीनियरिंग कालेज।

क्रमशः पेज 6......

विजय शुक्ला

शुक्ला

४४८२ से ४४५१

मानिकचन्द्र शुक्ल
स्टाम्प विक्रेता
उ०नि०कार्यालय ज्ञानपुर 22.11.14

कार्यालय उप निबन्धक
सत्यमेव जयते
भदोही

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 74AD 574604

4. ट्रस्ट /न्यास का नाम	:	प्रभावती देवी, चैरिटेबल ट्रस्ट
5. ट्रस्ट न्यास का स्थायी पता	:	ग्राम- दवनपुर, पो.-जंगीगंज, तहसील-ज्ञानपुर जिला- भदोही (उ.प्र.) भारत
6. ट्रस्ट/ न्यास/ निर्माता/ न्यासकर्ता	:	विजय कुमार शुक्ल ग्राम- दवनपुर, पो. -जंगीगंज, तहसील-ज्ञानपुर जिला- भदोही (उ.प्र.) भारत
7. ट्रस्ट/ न्यास का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण भारत
8. न्यासकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम व पद	:	अजय कुमार शुक्ला (प्रबन्धक/ सचिव) ग्राम- दवनपुर, पो.-जंगीगंज, तहसील-ज्ञानपुर जिला- भदोही (उ.प्र.) भारत
9. न्यासधारी ट्रस्ट	:	प्रभावती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ग्राम- दवनपुर, पो.- जंगीगंज, तहसील- ज्ञानपुर, जिला-भदोही (उ.प्र.) भारत
10. ट्रस्ट/ न्यास का स्वरुप	:	यह ट्रस्ट/ न्यास एक चैरिटेबल संस्था हैं जो धर्म, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, एवं राजनीति से उपर उठकर कार्य करेगी।

क्रमशः पेज 5......

विजय शुक्ला विजय शुक्ला

Scanned with CamScanner

५००२

५५५९ से ५५५७

माणिकराम शुक्ल
स्टाम्प विक्रेता
उ०नि०कार्यालय ज्ञानपुर
२५।५।१९

कार्यालय उप निबन्धक ज्ञानपुर
सत्यमेव जयते
भदोही

Scanned with CamScanner

4

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

कोषाधिकारी-भदोही
20 NOV 2019

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 100120

क0 सं0	नाम ट्रस्टी न्यासी	पद	व्यवसाय	पता
1	विजय कुमार शुक्ल	अध्यक्ष	नौकरी	ग्राम दवनपुर पोस्ट जंगीगंज तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही उ0प्र0
2	अजय कुमार शुक्ल	प्रबन्धक	नौकरी	खसरा नं0 484 एक्टेन्डेड लालडोरा ग्राम मुण्डवा दिल्ली
3	पूजा शुक्ला	कोषाध्यक्ष	गृहणी	ग्राम दवनपुर पोस्ट जंगीगंज तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही उ0प्र0
4	राम आसरे	ट्रस्टी	कृषि	ग्राम दवनपुर पोस्ट जंगीगंज तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही उ0प्र0
5	प्रमिला शुक्ला	ट्रस्टी	गृहणी	झिंगुरिया बरसठी मड़ियाहू जौनपुर
6	पूनम	ट्रस्टी	गृहणी	ग्राम सुन्दरपुर पोस्ट चकसुन्दर तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही
7	जड़ावती देवी	ट्रस्टी	गृहणी	ग्राम दवनपुर पोस्ट जंगीगंज तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही उ0प्र0

विजय शुक्ला

विजय शुक्ला

Scanned with CamScanner

आवेदन सं०: 201900998005052

सालिकराम शुक्ल
स्टाम्प विक्रेता
उ०नि० कार्यालय ज्ञानपुर
22.11.19

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 47 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री विजय कुमार शुक्ल, पुत्र श्री रामआसरे शुक्ल

निवासी: दवनपुर पोस्ट जंगीगंज तहसील ज्ञानपुर-221310, आधार सं० 4247-1669-4285

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री सालिकराम शुक्ल, पुत्र श्री हूबलाल शुक्ल

निवासी: उमरिया पोस्ट ज्ञानपुर तहसील ज्ञानपुर-221304

व्यवसाय: व्यापार

पहचानकर्ता : 2

श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव , पुत्र श्री दातादीन श्रीवास्तव

निवासी: खेमईपुर पोस्ट असनाव बाजार तहसील औराई-221401

व्यवसाय: व्यापार

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शरदेन्दु मिश्र
उप निबंधक : ज्ञानपुर
भदोही

अजय कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

3

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

74AD 574602

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

में अंकित होगा या बैंक खाते का विवरण दिया जायेगा। संस्थापक न्यास/ट्रस्ट प्रभावती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम उपरोक्त धनराशि सौंप चुका है तथा न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों को संचालित करने के लिए नियुक्त प्रबन्धक/सचिव, ट्रस्ट/न्यास पहले से ही अपनी सहमति व्यक्त कर चुका है और वैधानिक रूप से 21,000/- रूपया (इक्कीस हजार रूपया) से अपना मालिकाना का अधिकार रखता है। न्यास/ट्रस्ट के समुचित एवं स्थायी सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम पात्र सचिव की नियुक्ति की गयी है। न्यास/ट्रस्ट को औपचारिक दस्तावेज को क्रियान्वित करने के लिए यह समझा जाता है कि न्यास/ट्रस्ट निश्चित शर्तो के साथ अध्यक्ष को अपना अधिकार प्रदान करती है।

न्यास/ट्रस्ट के संस्थापक द्वारा इस दस्तावेजो को गवाहों के समक्ष निम्नलिखित रूप से प्रेषित की जाती है।

1. रूपये 21,000/- (इक्कीस हजार रूपये) न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी और बाद में न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति कहलाएगी।
2. ट्रस्ट सम्पत्ति का अर्थ होगा उपरोक्त रकम रूपये 21,000/- (इक्कीस हजार रूपये) न्यास/ट्रस्ट की होगी। इसके अतिरिक्त समय-समय पर पूँजी लगाना या किसी क्षेत्र से प्राप्त की गयी धनराशि इसके अतिरिक्त दान-दाताओं एवं स्वयं सेवी संगठनो तथा किसी संस्था अथवा सोसायटीइ द्वारा दी गयी रकम या सम्पत्ति न्यास/ट्रस्ट की होगी।
3. न्यास/ ट्रस्ट पर प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सभी शर्ते लागू होगी। उपरावक्त न्यास/ ट्रस्ट में नामित व्यक्ति जो न्यासी/ ट्रस्ट बनाये गये है वे निम्नलिखित है।

विजय शुक्ला विजय शुक्ला

क्रमशः पेज 3......

Scanned with CamScanner

आवेदन सं०: 201900998005052

न्यास पत्र

बही स०: 4	रजिस्ट्रेशन स०: 47	वर्ष: 2019

प्रतिफल- 21000 स्टाम्प शुल्क- 1730 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 420 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 540

श्री विजय कुमार शुक्ल ,
पुत्र श्री रामआसरे शुक्ल
व्यवसाय : कृषि
निवासी: दवनपुर पोस्ट जंगीगंज तहसील
ज्ञानपुर-221310,आधार सं० 4247-1669-4285

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 23/11/2019 एवं 02:46:53 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शरदेन्दु मिश्र
उप निबंधक :ज्ञानपुर
भदोही
23/11/2019

अजय कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 450446

ट्रस्ट/न्यास की विविध प्रतिबध्दताएँ:-

प्रभावती देवी चेरिटेबल ट्रस्ट इण्डियन ट्रस्ट, एक्ट 1882 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया जा रहा है। इस ट्रस्ट ऐक्ट 1982 के वे समस्त नियम/उपनियम लागू होंगे जो कि इस ट्रस्ट एक्ट के लिये आवश्यक है और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है।

प्रभावती देवी चेरीटेबल ट्रस्ट उसके अनुपालन में सदैव प्रतिबध्द है। न्यास ट्रस्ट के न्यासकर्ता द्वारा घोषणा की जाती है, कि रु. 21,000/- (इक्कीस हजार रुपया) से इस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है जो कि न्यास/ ट्रस्ट के न्यास सदस्यों द्वारा प्राप्त हुई है। आगे यह घोषणा की जाती है कि जो भी दान, अनुदान, कोष (फण्ड) या सम्पत्ति के रूप में प्राप्त होगा, उसका उपयोग लोककल्याणकारी, मानव भलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कल्याणकारी कार्यो के लिए होगा। जो अनुदान, दान, धनराशि, न्यास/ ट्रस्ट को प्राप्त है, या प्राप्त होगी। उसका उल्लेख रजिस्टर

विजय शुक्ला

प्रभावती देवी चेरिटेबल ट्रस्ट

विजय शुक्ला

IV.47/2019 1

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी भदोही

रु. 500

17 JUN 2018

कोड

FIVE HUNDRED RUPEES

Rs. 500

पाँच सौ रु

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 836653

730

201900998005052

न्यास पत्र

कार्यालय का नाम : उप निबंधक -ज्ञानपुर

न्यास पत्र

प्रभावती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट

ग्राम-दवनपुर, पो. जंगीगंज तहसील-ज्ञानपुर, जिला-भदोही. उ.प्र.

मै विजय कुमार शुक्ल पुत्र श्री राम आसरे शुक्ल ग्राम-दवनपुर, पो. जंगीगंज तहसील-ज्ञानपुर, जिला-भदोही. उ.प्र. का निवासी हूँ। प्रभावती देवी चेरीटेबल ट्रस्ट ग्राम-दवनपुर, पो. जंगीगंज तहसील-ज्ञानपुर, जिला-भदोही. उ.प्र. का दस्तावेज अपने हस्ताक्षरों से रजिस्टर्ड करता हूँ।

इस लोक कल्याणकारी एवं मानवता प्रेमी ट्रस्ट/न्यास का निर्माण एवं स्थापना 19 नवम्बर 2018 ई. को किया गया। इस न्यास/ट्रस्ट डीड (दस्तावेज) को श्री विजय कुमार शुक्ल के नाम से जाना जायेगा। इस न्यास का उद्देश्य समाज के विभिन्न उद्देश्यों, जनशिक्षा को बढावा देने, स्वास्थ्य, विकास विज्ञान, नैतिक मूल्यों, कला साहित्य, पर्यावरण एवं भारतीय संस्कृति एवं परम्परा का निर्वाह करना है।

विजय शुक्ला प्रभावती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट विजय शुक्ला